फारम सं0-563

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

अभिलेख उपस्थापित।

सरस्वती देवी, पति स्व0 कारू राम, ग्राम-सिरसी डामोडीह, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, मौजा-सिरसी-2, थाना नं0-121, खाता संख्या-254, प्लॉट संख्या-255, रकबा-04 डी0 भूमि शांति देवी, पति भुनेश्वर राम, ग्राम-पचड़ा, पोस्ट-पचड़ा, थाना-केरेडारी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-225/2021 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक-2585/रा0 दिनांक-10.12.2021 द्वारा अंचल अधिकारी, कटकमदाग को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग के पत्रांक 323 दिनांक 18.03.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि –

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि आवेदिका को खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत दर्शन दुसाध हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकबा 03.64 एकड़ भूमि है। पंजी-II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकबा 01.54 एकड़ है। पंजी-II के पृष्ठ संख्या-193/III पर दरशन दुसाध वगै0 के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2019-20 तक लगान रसीद निर्गत् है। जमाबंदी रैयत आवेदिका के दादा ससुर है। आवेदिका द्वारा धारित कुल रकबा/आवेदिका के हिस्से की भूमि 01.54 एकड़ है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदिका के पास रकबा-01.50 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदिका को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	
	अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में सरस्वती देवी, पति स्व0 कारू राम, ग्राम-सिरसी डामोडीह, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, मौजा-सिरसी-2, थाना नं0-121, खाता संख्या-254, प्लॉट संख्या-255, रकवा-04 डी0 भूमि शांति देवी, पति भुनेश्वर राम, ग्राम-पचड़ा, पोस्ट-पचड़ा, थाना-केरेडारी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।	
	लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.04.10 17:59:38 +05:30
Location: 192.168.0.103